



# अखण्ड भारत सन्देश

[www.akhandbharatsandesh.net](http://www.akhandbharatsandesh.net)

नगर संस्करण प्रयागराज शनिवार, 24 अक्टूबर, 2020

प्रयागराज से प्रकाशित

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को द्रुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान संस्थान की एक अनुपम भेट

## पानी की बर्बादी करने पर अब होगी 5 साल की सजा देना होगा एक लाख रुपये का जुर्माना



दंडनीय अपराध होगा।

सीजीडब्ल्यूए ने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक करने के लिए अनुसार पीने वाये पानी की दुरुपयोग भारत में 1 लाख रुपये तक के जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा के साथ

2020 को पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986 की धारा पांच की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्राधिकरणों और देश के सभी लोगों

को संबोधित करते हुए अपने आदेश में कहा है कि इस आदेश के यांत्री होने की तारीख से संबंधित नागरिक निकाय जो कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पानी आपूर्ति नेटवर्क को संभालती हैं और जिन्हें जल बोर्ड, जल निगम, वाटर वर्स्ट ट्रिपटर्मेंट, नगर निगम, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण, पंचायत वा किसी भी अन्य नाम से पुकारा जाता है, वो यह सुनिश्चित करेंगी कि भूजल से हासिल होने वाले पोर्बल वाटर यानी पीने वाये पानी की बर्बादी और नागरिक बेवजह इस्तेमाल नहीं होगा। इस आदेश का उन्मालन करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के लिए सभी एक तंत्र विकसित करेंगी और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडनामक

उपयोग किए जाएंगे।

देश में कोई भी व्यक्ति भू-जल स्रोत से हासिल

पीने वाये पानी का बेवजह इस्तेमाल या बर्बादी नहीं कर सकता है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजेंद्र

ल्याङ्गी और गैर सरकारी संस्था

फ्रैंड्स की ओर से बोर्ड वर्ष 24

जुलाई, 2019 कोपानी की बर्बादी पर रोक लाने की मांग वाली वाचिका पर पहली बार सुनवाई की थी। बहरहाल इसी मामले में कीरब

एक साल से ज्यादा समय के बाद

15 अक्टूबर, 2020 के एनजीटी

के आदेश का उन्मालन करते हुए

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के

अधिनियम केंद्रीय भूजल प्राधिकरण

(सीजीडब्ल्यूए) ने आदेश जारी

किया है।

जानकारी के अनुसार 19 अक्टूबर

को सरकार ने एक आदेश

को संसद की कैटीन में विदेश से आया

विदेशी सामान की बिक्री पर रोक

लगायी गई है। अधिक सैन्य

कैटीन पर लागू हो रही है। सेना

के अधिकारियों, जवानों और पूर्व

सैनिकों को रियाती दर पर यह

सामान उत्पादक कराया जा रहा है।

समझा जाता है कि विदेशी शराब को

वस्तुओं के बढ़ावा देने के उद्देश्य से

युक्ति क्या है? विदेशी वाटर को

इंस्ट्रियूट फार इंडेंस स्टार्टअप एंड

एनालिसिंस के अनुसार सेना की

बिक्री रोकेने का निर्णय लिया गया।

कैटीन से बिकने वाले कुल सामान में

आयातित सामान औसतन छह से

जुलाई के बीच बातचीत की गई है।

उत्पाद का उल्लंखन नहीं है लेकिन

सामान घर के बाहर भी बाहर

होना चाहिए।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूछ-माननीयों के खिलाफ

कितने आपाराधिक मामले लिहित, कितनों में स्थगन?

जबलपुर, जेपनन एन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से पूछा है कि

वर्तमान व पूर्व सासदों-विधायिकों (माननीयों) के खिलाफ हाई कोर्ट में

कितने मामले लिहित हैं? विदेशी वाटर की जानकारी दी जाए, जिनमें स्थगन आदेश जारी किया गया है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संघर यादव व जरिस्टर सुजान पॉल की सुधारी सुनवाई छह नवंबर तय की है।

इस बीच हाई कोर्ट के उत्पादक जनरल को उत्तर सावलों के जवाब प्रस्तुत

करने के लिए दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सिंबंदर 2020 के सभी हाई

कोर्ट के लिए दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकेने का नियम लिहित कर दिया गया।

राज्य का कोई भी बिल तभी कानून बनता है जब जबकि राज्यपाल उसे मंजुरी

देते हैं। राज्यपाल भी विधानसभा का

विस्तार के लिए दिए गए हैं।

राज्यपाल के पास तीन

विकल्प हैं: मंजुरी देने से जबकि

विधेयक को संकरने के लिए राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए कोई भी समयसीमा तय नहीं है। स्पष्ट है कि कांग्रेस शासित राज्यों की विधायिका राजनीतिक कदम भर साधी होती है। गैरलबाल के लिए कानून लिहित करने के लिए जल बात सबसे पहले पंजाब सरकार और वहां के राजनीतिक दलों की ओर से पूरे राज्य को अंगूठा दिखाने का अधिकार ही है। सरकार ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है। इस साल के आखिरी वार्षिक बजार में जानकारों के साथ जारी की जाने वाली वाचिका वाटर की बिक्री रोकने का नियम लिहित कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने साफ करने के लिए यहां सुनवाई की गयी है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक साल से बिक्री रोकने की विधानसभा का नियम लिहित कर दिया है।





